

राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष



स्थान का नाम- व्यवहार न्यायालय, बक्सर

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अधीन नालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर द्वारा आयोजित)

जा.र. 465/22

वाद संख्या... 58/22

195-1499/22

अंतर्गत धारा.....

बनाम्

याची/वादी/परिवादी
सोनू सिंह

..... लक्ष्मी मोहन साह

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी
लक्ष्मी मोहन साह

उपस्थिति - पीठ के न्यायिक सदस्य का नाम : K. S. J. com

गैर न्यायिक सदस्य का नाम (1)

(2) B. N. Pathak

अधिनिर्णय

अभिलेख राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष उपस्थापित किया गया। यह धारा 341, 343, 347, 504, 505, 506, 507, 508 का शमनीय मामला है। वर्तमान शमनीय मामला का सम्यक शमन हो चुका है।

अतः अभियुक्तगण को रिहा करते हुए मामले का निष्पादन किया जाता है। अभिलेख आवश्यक कार्यवाही के लिए मूल न्यायालय को लौटाया जाता है। पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी पक्षकार द्वारा न्यायालय शुल्क का भुगतान किया गया है तो न्यायालय शुल्क उस पक्षकार को वापस किया जायेगा।

याची/वादी/परिवादी

सोनू सिंह

I certify the signature of Sonu Singh who has given his signature in my presence

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी

लक्ष्मी मोहन साह
लक्ष्मी मोहन साह

न्यायिक सदस्य
NATIONAL
1 OK ADALAT, BUXAR

12/11/22
S. D. M. Buxar

B. N. Pathak
सदस्य
12/11/22

सदस्य